पत्रांकः—10 / वि०22—12 / 2026.........................

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

विनोद सिंह गुंजियाल, भा०प्र०से०,
सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक.................................

विषय :— राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसों के स्थलीय निरीक्षण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य के विभिन्न जिलों में अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसा संचालित है। इन मदरसों में विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को वेतनानुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान प्रदान की जाती है। इनमें छात्र—छात्राओं की उपलब्धता एवं अध्ययनरत् छात्र—छात्राओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो, यह राज्य सरकार का दायित्व है। मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करने के लिए मदरसा का स्थलीय जाँच कराने का निर्णय लिया गया है।

2. संबंधित मदरसा जिस प्रखण्ड के अन्तर्गत अवस्थित होगा, उस मदरसा का निरीक्षण उसी प्रखण्ड के त्रिसदस्यीय समिति से करायी जायेगी। त्रिसदस्यीय समिति की संरचना निम्नवत् होगीः—

(i)	संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अंचलाधिकारी—	अध्यक्ष
(ii)	संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी—	सदस्य सचिव
(iii)	संबंधित प्रखण्ड के मुख्यालय में अवस्थित राजकीय / राजकीयकृत माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय के वरीयतम प्रधानाध्यापक—	सदस्य

3. समिति में सदस्यों को नामित जिला स्तर पर संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के अनुपस्थिति में अंचलाधिकारी को नामित किया जायेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रखण्ड के मुख्यालय में अवस्थित राजकीय / राजकीयकृत माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय के वरीयतम प्रधानाध्यापक की सूची प्रखण्डवार जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि जिलों में अवस्थित सभी अनुदानित मदरसों की स्थलीय जाँच विभागीय संकल्प संख्या—1090 दिनांक 29.11.1980 (संलग्न) में निर्धारित शर्त्तों के आलोक में गठित त्रिसदस्यीय समिति से कराते हुए संलग्न विहित प्रपत्र में संबंधित मदरसे का फोटो साक्ष्य मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन दस (10) दिनों के अंदर उपलब्ध करायी जाय।

अनुलग्नकः—यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/—
(विनोद सिंह गुंजियाल)
सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–10/वि०22–12/2026...1216...   पटना, दिनांक 01-6-26

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/अध्यक्ष, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के आप्त सचिव/निदेशक, मा0शि0/विशेष निदेशक, मा0शि0/उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना/सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/सभी संबंधितों एवं आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।